

कार्यालय नजारत अनुभाग , जिला जजी , खीरी ।

160.CM.

सं० / IX-12-2021

दिनांक 24 अप्रैल , 2023

वाहन नीलामी हेतु विज्ञाप्ति

वाहन क्रय करने के इच्छुक व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय लखीमपुर खीरी में सरकारी वाहन सं० - UP70AG 0628 हॉन्डा कार , निर्माण वर्ष 2009 की सार्वजनिक नीलामी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुक्रम में दिनांक: 05.05.2023 को सायंकाल: 04:30 बजे जनपद न्यायालय , लखीमपुर खीरी के समाक्ष में गठित नीलामी समिति के समक्ष की जायेगी । उक्त नीलामी हेतु निर्धारित न्यूनतम मूल्य मु० 80,000/-रु० है, तथा नीलामी को उच्चतम बिड के आधार पर स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त वाहन के लिये पृथक-पृथक प्रत्येक बोलीदाता को धरोहर धनराशि मु० 5000/-रु० नकद धनराशि के रूप में बोली बोलने से पहले नजारत अनुभाग जिला जजी खीरी में जमा करनी होगी । सर्वाधिक बोलीदाता को कुल बोली का 1/4 धनराशि उसी समय जमा करनी होगी तथा शेष 3/4 धनराशि निर्धारित अवधि में जमा न करने पर तथा वाहन का कब्जा न लेने पर जमा की गयी समस्त धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्द कर लिया जायेगा । न्यूनतम बोली न आने पर अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारणश नीलामी स्थगित करने अथवा अन्य परिस्थितियों में निरस्त करने का अधिकार नीलामी स्वीकृतिकर्ता अधिकारी को होगा । नीलामी समिति को किसी एक अथवा समस्त बोलियों को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा । समिति द्वारा स्वीकृति की हुयी उच्चतम बोली तभी अन्तिम मानी जायेगी जब नीलामी समिति के अध्यक्ष, लखीमपुर खीरी द्वारा बोली अनुमोदित/स्वीकृत कर दी जायेगी । अन्तिम स्वीकृति के पश्चात किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी । नीलामी के पूर्व उक्त वाहन का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में जनपद न्यायालय परिसर , लखीमपुर खीरी में किया जा सकता है तथा वाहन को जहां जैसा है वैसी स्थिति में नीलामी कर कब्जा दिया जायेगा । क्रेता को नीलामी धनराशि के अतिरिक्त जो अनुमन्य, यथा GST या अन्य कर , पंजीयन स्थानांतरण शुल्क आदि स्वयं वहन करना होगा । विज्ञाप्ति का विवरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अधिकारिक वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in व जनपद न्यायालय की वेबसाइट <http://district.ecourts.gov.in/kheri> पर उपलब्ध है ।

(सुनील कुमार वर्मा)

अध्यक्ष- नीलामी समिति/

प्रथम अपर जिला जज

लखीमपुर खीरी ।